अध्याय–IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

4.1 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अनुदान : ₹ चार करोड़

कम्पनी द्वारा अपने साधारण सभा में पूर्व अनुमति के बिना ₹ चार करोड़ के दान का निर्णय न केवल अधिनियम के प्रवधान के उल्लंघनों में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के भी प्रतिकूल था।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1) (ई) एक सार्वजनिक/निजी कम्पनी के निदेशक मंडल के धर्मार्थ एवं अन्य कोष में दान देने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न हो तथा जो किसी वित्तीय वर्ष में ₹ पचास हजार या विगत तीन वर्षो के औसत लाभ के पाँच प्रतिशत, दोनों में जो ज्यादा हो, अधिक हो। जहाँ भी अंशदान उपर्युक्त सीमा से अधिक हो, वहाँ कम्पनी की साधारण सभा की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जाना चाहिए।

हमारे प्रेक्षण (मार्च 2010) में पाया गया कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी), जो एक सार्वजनिक कम्पनी है, ने ₹ एक करोड़ का (विगत तीन वर्षो के अपने औसत लाभ का 16.23 प्रतिशत) का अनुदान (अगस्त 2007) तथा पुनः ₹ तीन करोड़ (अपने विगत तीन वर्षो के अपने औसत लाभ का 60.61 प्रतिशत) का अनुदान (जुलाई 2008) में मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया, जैसा कि दान की यह राशि अधिनियम के अनुसार साधारण सभा में अनुमति हेतु ले जानी चाहिए थी परन्तु कम्पनी ने ऐसा नहीं किया।

अतः कम्पनी द्वारा अपनी साधारण सभा की पूर्व अनुमति के बिना ₹ चार करोड़ (₹ एक करोड़ 2007–08 में तथा ₹ तीन करोड़ 2008–09 में) का दान, जो इसके विगत तीन वर्षो के औसत लाभ के पाँच प्रतिशत से अधिक था, न सिर्फ अधिनियम का उल्लंघन करता है बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के भी प्रतिकूल था।

प्रबंधन ने बताया (जून 2010) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ई) के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ चार करोड़ के भुगतान की स्वीकृति अगले वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) में भूतलक्षी प्रभाव से ले ली जाएगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी से कोष में दान हेतु किसी विशेष माँग की जानकारी दस्तावेजों से नहीं पायी गयी है। तथापि, यह विषय भूतलक्षी प्रभाव द्वारा

नियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस धारा के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कम्पनी की साधारण सभा की पूर्व सहमति से ही किया जा सकता है।

कम्पनी द्वारा धर्मार्थ एवं अन्य कोषों में इस प्रकार के किसी दान देने के पूर्व कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के कल्याण से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध न हों।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.2 (क) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के खातों के अंतिमीकरण के बकाये ।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के खातों के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं लोक धन के रिसाव का जोखिम।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 (धारा 166 एवं 216 के साथ पढ़ा जाय) के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) में लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणी के साथ) कम्पनी के लेखाओं को रखा जाना चाहिए। तथापि, सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में एक वार्षिक प्रतिवेदन भी अधिनियम की धारा 619 अ (3) के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। धारा 210 (5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, कम्पनी का निदेशक होते हुए, धारा 210 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए हर संभव प्रयास करने में विफल रहता है तो वह छः माह तक के कारावास दण्ड या दस हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनों का भागी होगा। धारा 210(6) में एक व्यक्ति, जो निदेशक नहीं है परन्तु धारा 210 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी हैं, के लिए समान प्रावधान निहित है।

कम्पनी अधिनियम में उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी बिहार राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) अपने खातों का समय से अंतिमीकरण नहीं कर रही है और 31 मार्च 2010 को 20 वर्षों (1989–90 से 2008–09) के इसके लेखाओं अंतिमीकरण हेतु बकाया थे। कम्पनी ने 1988–89 तक के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है। लेखापरीक्षा द्वारा राज्य सरकार (मुख्य सचिव/प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव) के ध्यान में खातों के अंतिमीकरण के बकाये को लाया जा रहा है। यद्यपि, पिछले तीन वर्षों में बकाये के समापन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये है। (31 मार्च 2007 को 19 वर्षों के खाते अंतिमीकरण के लिए बकाया थे)। सरकार कम्पनी में ₹ 125.85 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 5.27 करोड़, ऋण : ₹ 120.58 करोड़) का निवेश उस अवधि के लिए कर चुकी है जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विलम्ब का कारण वैधानिक लेखापरीक्षकों के कम्पनी के लेखाओं से सम्बद्ध प्रश्नों का समाधान न किया जाना था। उदाहरण के तौर पर 1989–90 के लेखाओं पर प्रश्न यथा (*i*) लाभ–हानि खातें के प्रारम्भिक शेष में अंतर जैसा कि कम्पनी के लेखाओं मे उद्धृत था (*ii*) मुख्यालय एवं इकाईयों के असमायोजित शेष (*iii*) इकाईयों के खातों में गोदामों की कमी/आधिक्य को सम्पति की तरह दिखाया जाना इत्यादि, अभी भी कम्पनी द्वारा अनुत्तरित है (जून 2010)।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2010) कि कम्पनी के लेखा का अंतिमीकरण के विलम्ब का कारण वैधानिक लेखापरीक्षकों का असहयोग था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वैधानिक लेखापरीक्षकों के कम्पनी के लेखाओं से सम्बद्ध सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके अभाव में लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका।

ऐसी परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेशों एवं व्ययों का उचित लेखांकन किया गया है और वे उद्देश्य प्राप्त किये गये या नहीं जिनके लिए कोष निवेशित किये गये थे। इस प्रकार कम्पनी में सरकार का निवेश राज्य विधायिका की समीक्षा के बाहर है। तथापि, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं लोक धन के रिसाव का जोखिम हैं।

लेखा के अंतिमीकरण में विलम्ब से दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन प्रणाली से ₹ 0.24 करोड़ के बैंक ड्राफ्टों की राशि के वसूली न होने का वर्णन निम्न प्रकार है:–

(ख) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरण के लिए गेहूँ एवं चावल का जिलावार आवंटन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को किया जाता है। कम्पनी उचित मूल्य दुकानों (उ.मू.दु.) के डीलरों से अग्रिम धन की प्राप्ति के बाद, अनाज प्राप्त कर उसे डीलरों को उनके आवंटन अनुसार आपूर्ति करती है। कम्पनी डीलरों से डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में अग्रिम प्राप्त करती है और उसे बैंक में जमा करती है। जैसा कि कम्पनी बड़े पैमाने पर डी. डी./चेक प्राप्त करती है, बैंक में इन डी. डी./चेकों के जमा एवं सम्बद्ध वसूली की निगरानी के लिए प्रभावपूर्ण आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन तंत्र आवश्यक है। एक उचित आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन प्रणाली में निम्न होने चाहिए:

1. भुगतान के रूप में डी. डी./चेकों प्राप्त होने पर उनके नगदीकरण पर ध्यान रखने हेतु निर्धारित पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए। इन चेकों की वसूली हेतु शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए।
2. प्रबंधन को प्रत्येक माह के अन्त में मिलान सुनिश्चित करना चाहिए। प्राप्ति एवं भुगतानों की असमायोजित मदों के लिए बैंक से प्राप्तियों एवं भुगतान की एक बैंक समाधान विवरणी (बी.आर.एस.) बनायी जानी चाहिए। बी.आर.एस. की अनुपस्थिति में बैंक को प्रेषित रकम एवं कपटपूर्ण आहरण (यदि कोई हो), के लेखांकन नहीं होने का पता नहीं लगेगा।

कम्पनी के भागलपुर कार्यालय के दस्तावेजों की नमूना जाँच में पता चला (मार्च 2009) की डी. डी. के बैंक में जमा करने एवं उनके सम्बद्ध वसूली के सम्बन्ध में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन दोषपूर्ण थी जैसे कि रोकड़ बही की कई राशियाँ ड्राफ्ट पंजी से नहीं मिली। कम्पनी के जिला कार्यालयों द्वारा अगले महीने के 20वीं तारीख तक विपत्रों/विवरणों के साथ बैंक समाधान विवरणी मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए थी। यद्यपि यह नियमित रूप से सम्पादित नहीं किया गया। हमने प्रेक्षण में पाया कि भागलपुर कार्यालय में डीलरों से प्राप्त ₹ 0.24 करोड़ के 197 डिमाण्ड ड्राफ्ट बैंको में मार्च/अप्रैल 2007 में जमा दिखाये गये परन्तु ये कम्पनी के बैंक खातों में जुलाई 2010 तक जमा नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा द्वारा बैंक से उपर्युक्त ड्राफ्टों के बारें में पूछने पर (जुलाई 2010) बैंक ने बताया कि उल्लिखित जमा तिथि के बाद के दो माह के बैंक विवरणी की जाँच के बाद भी इनका पता नहीं चला। प्रमंडल द्वारा बैंक खातों के प्रमंडलीय रोकड़ बही से मिलान एवं लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन प्रविष्टि के प्रयास नहीं किये गये।

अतः दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबोधन प्रणाली एवं बैंक शेषों के समाधान न होने के कारण कम्पनी ₹ 0.24 करोड़ वसूल करने में विफल रही। इन कोषों के गबन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के प्रेक्षण को स्वीकारते हुए बताया (मई 2009) कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कम्पनी द्वारा जमा डी. डी. की राशि की वसूली के लिए कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया गया। यह देखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार एवं कम्पनी का प्रबंधन:–

- लेखों के बकायों की समाप्ति हेतु लेखाओं के बाहरी स्त्रोतों से तैयार कराने पर विचार करे और
- बकाये की समाप्ति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाये और सतत रूप से इसका प्रबोधन करें।

लेखाओं के बकाये के समापन के लिए कम्पनी को वैधानिक लेखापरीक्षकों को माँगी गयी आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कि वे अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में सक्षम हो सके।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई/जून 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

4.3 उप–पट्टेदार से सुविधा प्रबंधन सेवा शुल्क की वसूली न होना : ₹ 0.32 करोड़

कम्पनी द्वारा अनुबंध के उपबन्ध को लागू करने में विफलता के कारण सुविधा प्रबंधन सेवा शुल्क के ₹ 0.32 करोड़ की वसूली न होना।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 (कम्पनी) ने बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 (बिस्कोमान) से बिस्कोमान टावर में तीन तल (70,000 वर्ग फीट) अप्रैल, 2002 में तथा अन्य तीन तल अप्रैल 2005 में ₹ छः प्रति वर्ग फीट प्रति माह किराये तथा समान सेवाओं के लिए ₹ 0.20 प्रतिवर्ग फीट प्रति माह की दर से रख–रखाव शुल्क पर पट्टे पर लिया।

कम्पनी द्वारा इस पट्टेकृत भवन संपदा में एक सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क (एस.टी.पी.) विकसित किया गया तथा विभिन्न कम्पनियों/संस्थाओं को इसमें से 45,366 वर्ग फीट उप–पट्टे पर दे दिया गया। चूँकि बिस्कोमान द्वारा प्रदत्त बाहरी रख–रखाव सेवाएँ निम्न स्तरीय थी, कम्पनी ने बिस्कोमान को मासिक रख–रखाव शुल्क की अदायगी रोक दी (फरवरी 2007) एवं बाहरी रख–रखाव सेवाएँ लेने का निर्णय किया। तदनुसार, आई.एल. एण्ड एफ.एस. प्रोपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लि0 (आई. पी. एम. एस. एल.) के साथ एस.टी.पी. के भवन संपदा में ₹ 0.02 करोड़ प्रति माह शुल्क की दर से सुविधा प्रबंधन सेवा प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया गया (दिसम्बर 2008)।

हमारे प्रेक्षण में पाया गया कि रख–रखाव सेवा/सुविधा प्रबंधन सेवा की राशि उप–पट्टेदारों से उनके साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के उपबंध–I के अनुसार एक पारस्परिक स्वीकार्य दर से वसूलनीय थी। तथापि, कम्पनी रख–रखाव शुल्क के भुगतान सम्बन्धी इस उपबंध को लागू करने में विफल रही।

कम्पनी द्वारा इस उपबंध को लागू करने में विफलता एवं उप–पट्टेदारों से परस्पर स्वीकार्य रख–रखाव शुल्क को वसूल नहीं कर पाने के कारण आई.पी.एम.एस.एल. को भुगतान किये गये ₹ 0.32 करोड़ के सुविधा प्रबंधन सेवा शुल्क की वसूली में कम्पनी विफल रही।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2010) कि निदेशक मंडल ने पुराने एवं नये सचिवालय की तर्ज पर बिस्कोमान–टावर के रख–रखाव प्रबंधन सेवाओं के लिए ₹ 0.02 करोड़ प्रति माह की दर पर में मेसर्स आई.पी.एम.एस.एल. की सेवाएँ ली जाने की स्वीकृति दी थी (23 सितम्बर 2008)। प्रारम्भ में, सम्पूर्ण लागत बी.एस.ई.डी.सी. द्वारा वहन की जानी थी तथा आई.पी.एम.एस.एल. की सफलतापूर्ण सेवा के बाद व्यय को दखलदारों से उनके जगह के समानुपात में भारित की जानी थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि यह न केवल

अनुबंध की नियमों एवं शर्तो के विपरीत थी बल्कि यह निदेशक मंडल के इस निर्णय के भी विरूद्ध था कि प्रारम्भ में लघु अवधि के लिए ही लागत कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी। यद्यपि, दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी दखलदारों को उनकी जगह के समानुपात में कोई व्यय भारित नहीं किया गया था।

कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु कम्पनी द्वारा अनुबंध में परस्पर स्वीकृत राशि के उप–पट्टेदारों से वसूली के प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.4 राजस्व का न्यून निर्धारण

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उच्च विभव सेवा–1 श्रेणी के उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि : ₹ 0.82 करोड़।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी. ई. आर. सी.) द्वारा अनुमोदित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.) का टैरिफ (नवम्बर 2006) अनुबद्ध करता है कि निम्न विभव सेवा (नि.वि.से.) यानि गैर–घरेलू सेवा (एन. डी. एस.)–II टैरिफ 60 कि.वा. तक के स्वीकृत भार वले गैर घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पर लागू होती है। उपभोक्ताओं के भार की सत्यापन/जाँच बोर्ड द्वारा समय–समय पर छापा एवं निरीक्षण द्वारा की जाती है।

बोर्ड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गया (ग्रामीण) के दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान हमने पाया (सितम्बर 2009) कि एन डी एस टैरिफ की सुविधा भौतिक सत्यापन के दौरान 60 कि.वा. (दिसम्बर 2006) से अधिक भार पाये जाने वाले चार उपभोक्ताओं[1] को जारी रखी गयी। बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा अधिक भार के उपयोग की सूचना मिलने की तिथि के दो वर्ष बीतने के बाद उपभोक्ताओं को एन.डी.एस. श्रेणी से उ.वि.से.–I श्रेणी में परिणत करने के लिए आवश्यक औपचारिकता[2] पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया (फरवरी 2009), जिसमें विफल रहने पर ऊर्जा आपूर्ति विच्छेदित कर दी जाएगी। परन्तु उपभाक्ताओं ने न तो इस सम्बन्ध में अनुबन्ध किया और न ही उपभोक्ताओं की ऊर्जा आपूर्ति बोर्ड द्वारा विच्छेदित की गयी एवं टैरिफ प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए उपर्युक्त उपभोक्ताओं का उ.वि.से.–I टैरिफ की जगह एन.डी.एस. श्रेणी में न्यून दर पर उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण जारी रखा गया। इस प्रकार उपर्युक्त उपभोक्ताओं पर टैरिफ प्रावधान के अनुसार सम्बद्ध भार के आधार पर लागू होने वाले उ.वि.से.–I श्रेणी के अनुसार विपत्रीकरण न करने के कारण ₹ 0.82 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बोर्ड द्वारा नि.वि.से. से उ.वि.से. में उपभोक्ताओं की श्रेणी के परिवर्तन हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।

बोर्ड ने दो मामलों[3] में लेखापरीक्षा के प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2010) कि ₹ 0.28 करोड़ के न्यून विपत्रीकरण की माँग उपभोक्ताओं से की गयी है ।

---

1. बौद्ध मंदिर (बी 1797) भार–105 कि. वा., 2. ताइवान मंदिर (बी. 3025) भार–99 कि. वा., 3. बोधी थाई भारत समिति (बी. 3425) भार–81 कि. वा., एवं 4. राष्ट्रपाल मोहाथेरा (बी 2762) भार–72 कि. वा.।
2. एन. डी. एस. श्रेणी से उ. वि. से. श्रेणी में परिवर्तन के लिए आवेदन एवं उ. वि. से. के अनुबन्ध को अंतिम रूप देना।
3. बौद्ध मंदिर और राष्ट्रपाल मोहाथेरा।

बाद में यह बताया गया कि शेष दो मामलों[4] में पुनर्गणना के दौरान उपभोक्ताओं का भार 60 कि.वा. से कम पाये गयें थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो उपभोक्ताओं पर भारित न्यून विपत्रीकरण की राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं थी जैसे कि अनुबन्ध करना इत्यादि एवं अन्य दो उपभोक्ताओं के मामलें में पुनर्गणना टैरिफ प्रावधानों के विपरीत थी, जैसे कि गीजर के भार को गणना में शामिल नहीं किया गया।

- बोर्ड को चाहिए कि वह प्रमंडलीय स्तर पर ऐसी कमियों के प्रबोधन के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन करें।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.5 त्रुटिपूर्ण श्रेणीयन

उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण श्रेणीयन के कारण बोर्ड ₹ 0.52 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा जारी विज्ञप्ति[5] के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता जो शहरी/नगर फीडर से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति पाते हैं, वे घरेलु एवं व्यावसायिक प्रयोग के लिए क्रमशः घरेलु सेवा (डी एस–II) और गैर घरेलु सेवा (एन डी एस–II) के अंतर्गत श्रेणीकृत किये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि तीन[6] विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में अप्रैल 2006 से मई 2010 के मध्य शहरी/नगर फीडर से आपूर्ति पाने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को त्रुटि पूर्ण रूप से डी एस–I एवं एन डी एस–I तौर पर, डी एस–II एवं एन डी एस–II से कम टैरिफ वाली श्रेणी में, श्रेणीकृत एवं तदनुसार विपत्रीकरण किया गया। इन उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रावधान के अनुसार डी एस–II एवं एन डी एस–II श्रेणी के अनुसार मीटर पठन के अनुसार ऊर्जा खपत या 40 यूनिट (मीटर के दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त/जले होने की स्थिति में 1 किलोवाट (कि.वा.) तक के भार के लिए न्यूनतम मासिक प्रभार) के अनुसार विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था। हमने पाया कि उपभोक्ता पंजी का प्रमंडल में उपलब्ध फीडर सम्बन्धी दस्तावेजों के साथ मिलान नहीं करने के कारण टैरिफ प्रावधानों के अनुसार विपत्रीकरण न हो सका।

इस प्रकार बोर्ड ने उपर्युक्त वर्णित अवधि में ₹ 1.74 करोड़ के बदले ₹ 1.22 करोड़ प्रभारित किया और उपभोक्ताओं के गलत श्रेणीयन के कारण ₹ 0.52 करोड़ की क्षति वहन की।

बोर्ड ने अपने जवाब (जुलाई एवं अगस्त 2010) में तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए बताया कि दो[7] प्रमंडलों के उपभोक्ताओं से न्यून विपत्रीकरण की राशि की माँग की जा चूकी है एवं वसूली प्रक्रिया शुरू हो गयी है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर के बारे में बोर्ड ने बताया कि जमालपुर में मात्र एक फीडर है और उसी से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की जाती है और इस प्रकार जमालपुर फीडर एक शहरी

4 ताईवान मंदिर और बोधी थाई भारत समीति।

5 2001, 2006 एवं 2008 में जारी टैरिफ।

6 सीतामढी, मुंगेर और बक्सर ।

7 सीतामढ़ी और बक्सर ।

फीडर नही है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि दस्तावेजों से यह पता चला कि जमालपुर फीडर शहरी फीडर था।

तथ्य यह है कि उपभोक्ता पंजी का प्रमंडल में उपलब्ध फीडर सम्बन्धी दस्तावेजों के साथ मिलान न करने में अनियमितताएँ अद्यतन वैसी ही है और उसी के अनुसार विपत्रीकरण (अक्टुबर 2010) किया जा रहा था।

बोर्ड को चाहिए कि वह प्रमंडलीय स्तर पर ऐसी कमियों के प्रबोधन के लिए अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन करे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010), उत्तर प्रतिक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.6 केबल का अनावश्यक क्रय

भूमिगत केबल के अनावश्यक क्रय के कारण ₹ 3.35 करोड़ अवरुद्ध एवं ब्याज की आनुषंगिक क्षति ₹ 1.41 करोड़।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के वित्त एवं लेखा संहिता (अध्याय–VII) के अनुसार विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन सहित निर्माण कार्य हेतु सामग्री की खरीद निर्माण कार्यक्रम के आधार पर की जानी चाहिए। निर्माण कार्यक्रम के अनुमोदन के पश्चात पूँजीगत कार्यो एवं जमा कार्यो के लिए बोर्ड मुख्यालय के सम्बद्ध स्कन्ध एवं क्षेत्र इकाईयों की माँग के आधार पर सामग्री बजट के आधार पर सामग्री क्रय की जाती है। अनुमोदित सामग्री बजट के अनुसार सामग्रियाँ भण्डारण एवं क्रय स्कंध द्वारा क्रय किया जाता है।

सदस्य (डी. एण्ड आर.ई.) के कहने पर क्षेत्र इकाईयों से 33 के. भी. एवं 11 के. भी. (एक्स एल पी ई)[8] भूमिगत केबल की आवश्यकता की जानकारी माँगी गयी (नवम्बर 2006)। क्षेत्र इकाईयों से प्राप्त आवश्यकता की जानकारी के आधार पर बोर्ड ने 18 कि. मी. 11 के. भी. (3X400 मिमी^{2} आकार के) एवं 14 कि.मी. 33 के. भी. (3X400 मिमी^{2} आकार) भूमिगत केबल (एक्स एल पी ई) की खरीद के लिए ₹ 5.39 करोड़ की आधारभूत लागत पर दो क्रय आदेश[9] दिये। इनका प्रयोग पेसू क्षेत्र एवं मगध, केन्द्रीय, तिरहुत, मिथिला, कोशी एवं भागलपुर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पर केबल बिछाने के लिए किया जाना था। आपूर्तिकर्ता द्वारा नवम्बर 2007 एवं जनवरी 2008 के मध्य 31.841 कि.मी. केबल की आपूर्ति की गयी। आपूर्ति की सामग्री आपूर्ति तिथि के 24 महीने और कार्य प्रारम्भ के 18 महीने की अवधि, दोनो में जो पहले हो, के लिए त्रुटिपूर्ण सामग्री, खराब कारीगरी एवं असंतोषप्रद कार्य निष्पादन के विरूद्ध प्रत्याभूतित थी।

कुल खरीदे गये केबल में से अक्टूबर 2010 तक केवल 10.697 कि.मी. केबल बोर्ड द्वारा बिछाने के लिए प्रयोग किया गया। शेष ₹ 3.35 करोड़ कीमत का 21.144 कि.मी. केबल अप्रयुक्त पड़ा हुआ है (दिसम्बर 2010) जिसके प्रयोग के लिए कोई तत्काल कार्यक्रम नहीं है। इसके कारण बोर्ड की ₹ 3.35 करोड़ की निधि, 34 माह (जनवरी 2008 से अक्टूबर 2010) के लिए 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से गणना की गयी ₹ 1.41 करोड़ की आनुषंगिक ब्याज क्षति के साथ, अवरूद्ध हो गयी। इसके अतिरिक्त सामग्री की प्रत्याभूति अवधि भी दिसम्बर 2009 मे समाप्त हो गयी।

---

8 एक्स एल पी ई, क्रास लिंक्ड पॉली एथाइलीन, भूमिगत केबल का एक प्रकार है।

9 क्र.आ.सं.–35 दिनांक 24.08.07 एवं क्र.आ.सं. 36 दिनांक 24.08.07।

इस प्रकार, वित्त एवं लेखा संहिता के प्रावधानो का उल्लंघन कर आवश्यकता से अधिक सामग्री की क्रय के कारण ₹ 3.35 करोड़ की निधि अवरूद्ध हो गयी और ₹ 1.41 करोड़ की आनुषंगिक ब्याज क्षति हुई। आवश्यकता के बिना क्रय में निवेश कार्यशील पूँजी पर दबाव बढ़ायी एवं बोर्ड को क्रय की लागत पर ब्याज का भुगतान करना पड़ा ।

बोर्ड ने बताया (अगस्त 2010) कि जमा शीर्षो के साथ–साथ पूँजीगत कार्यो यथा, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, सड़को के चौड़ीकरण इत्यादि के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो के लिए 33 के.भी. और 11 के.भी. के भूमिगत केबल की बड़े पैमाने पर आवश्यकता थी। जबाब मान्य नहीं है क्योंकि जबाब में बताया गया उद्देश्य केबलों के क्रय के पूर्व इकाईयों द्वारा भेजे गये आवश्यकता सम्बन्धी जानकारी मे दर्शाये गये उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। यह वर्णित करता है कि सामग्रियों की क्रय माँग के बिना किया गया और जबाब में बताया गया उद्देश्य बाद में सोचा–समझा गया एक विचार है। इस प्रकार, उचित योजना के बिना क्रय किए गये भूमिगत केबल के कारण ₹ 3.35 करोड़ निधि का अवरूद्धन एवं ₹ 1.41 करोड़ के ब्याज की क्षति हुई।

यह अनुशंसा की जाती है कि सामग्रियों का क्रय वित्त एवं लेखा संहिता की शर्तो के अनुसार की जाय ताकि इस प्रकार के निरर्थक निवेश को टाला जा सके और क्षेत्र कार्यालयों द्वारा आकलन आवश्यकता की जानकारी प्राप्ति के बाद ही क्रय किया जाय।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.7 *बढ़ी हुई उर्जा क्रय लागत की वसूली नहीं होना*

बिहार विद्युत विनियामक आयोग को टैरिफ याचिका भरने में विलम्ब के कारण ₹ 173.97 करोड़ की निधि अवरूद्ध एवं 10 महीने में ₹ 26.10 करोड़ के ब्याज की हानि और प्रति माह ₹ 2.61 करोड़ के ब्याज की आवर्ती हानि।

सितम्बर 2008 से आगे की अवधि के लिए प्रभावी विद्युत टैरिफ का अनुमोदन बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बी. ई. आर. सी.) द्वारा अगस्त 2008 में किया गया था। टैरिफ को अनुमोदित करते समय बी. ई. आर. सी. में अपने टैरिफ आदेश में ईंधन एवं ऊर्जा क्रय समायोजन सूत्र को भी अनुमोदित किया। सूत्र के अनुसार ऊर्जा लागत में वृद्धि उपभोक्ताओं (कृषि एवं कुटिर ज्योति श्रेणियों को छोड़कर) से वसूलनीय थी। बोर्ड को टैरिफ अनुमोदन की तिथि से प्रत्येक छः माह बाद क्रय लागत की समीक्षा करनी थी और ऊर्जा क्रय में पाँच पैसे प्रति इकाई से अधिक वृद्धि की स्थिति में, बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली के लिए बी. ई. आर. सी. को दावा प्रस्तुत करना था। अतः बोर्ड द्वारा सितम्बर 2008 से फरवरी 2009 के विद्युत शक्ति क्रय की लागत की समीक्षा की जानी थी और बी.ई.आर.सी. को मार्च 2009 में उपभोक्ताओं से वसूली हेतु दावा प्रस्तुत करना था।

हमने प्रेक्षित किया (जून 2010) कि सितम्बर 2008 से फरवरी 2009 की अवधि के दौरान क्रय किये गये ऊर्जा की समीक्षा बोर्ड ने अपैल 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि के दौरान किया और बोर्ड ने कुटिर ज्योति एवं कृषि श्रेणियों को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं को बेचे गये प्रति इकाई पर ₹ 0.69 का दावा बी. ई. आर. सी. को सात[10] महीने विलम्ब से दिसम्बर 2009 मे किया। बी. ई. आर. सी. ने बोर्ड के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उपभोक्ताओं को बेचे गये प्रति इकाई पर 69 पैसे की दर से

10 जैसा कि बी.ई.आर.सी. ने मार्च 2009 तक की लागत पर विचार किया और अनुमोदित किया, विलम्ब की अवधि मई से नवम्बर 2009 तक के लिए गणना की गई है।

₹ 173.97 करोड़ की बकाये की वसूली का आदेश दिया (मार्च 2010)। प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार सरकार ने एक बैठक (मई 2010) के दौरान मौखिक रूप से बोर्ड को आयोग के आदेशानुसार उपभोक्ताओं से वसूली न कर राज्य सरकार से अनुदान की माँग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। तदनुसार, बोर्ड ने सरकार से ₹ 173.97 करोड़ के दावे की माँग की और आयोग के आदेश को लागू नहीं किया। परन्तु इस सम्बन्ध में न तो सरकार ने किसी राशि का प्रावधान किया और न ही सरकार से कोई निर्देश ही प्राप्त हुआ है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अनुसार राज्य सरकार का कोई निर्देश आवश्यक राशि के अग्रिम भुगतान के बाद ही प्रभावी होता है। जैसा कि सरकार द्वारा अग्रिम में राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली टालने का निर्देश अनियमित था। इस प्रकार, बोर्ड, द्वारा अधिनियम की धारा 62 के उल्लंघन के कारण ₹ 173.97 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई और 10[11] महीने में ₹ 26.10 करोड़ के ब्याज की क्षति हुई।

बोर्ड ने ईंधन एवं ऊर्जा क्रय लागत समायोजन (एफ.पी.सी.सी.ए.) प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब एवं उपभोक्ताओं से एफ.पी.सी.सी.ए. शुल्क की वसूली न होने को स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि घरेलू एवं गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से एफ.पी.सी.सी.ए. शुल्क की वसूली न होने से बोर्ड को हुई क्षति की भरपाई के लिए बिहार सरकार से अक्टुबर 2008 से मार्च 2009 एवं अप्रैल 2009 से सितम्बर 2009 की अवधि के लिए ₹ 256.77 करोड़ का दावा अनुदान की स्वीकृति हेतु माँग की गयी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रिय कार्यालयों को जुलाई 2010 के उर्जा विपत्र के साथ बी.ई.आर.सी. के आदेशानुसार छः किस्तों में औद्योगिक एवं उच्च श्रेणी उपभोक्ताओं से वर्णित अवधि के लिए एफ.पी.सी.सी.ए. शुल्क की वसूली के आदेश दिये गये हैं। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बी.ई.आर.सी. के आदेशानुसार शक्ति क्रय लागत में बृद्धि उपभोक्ताओं से वसूली की जानी चाहिए थी परन्तु अभी भी एक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी ₹ 173.97 करोड़ के दावे की राशि वसूलनीय है और बोर्ड को उस पर प्रतिमाह ₹ 2.61 करोड़ के ब्याज की लगातार हानि हो रही है।

बोर्ड द्वारा बी.ई.आर.सी. के आदेशानुसार एफ.पी.सी.सी.ए. की राशि का दावा किया जाना चाहिए और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.8 राजस्व का न्यून निर्धारण

टैरिफ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व की क्षति।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के परिपत्र सं0 477 दिनांक 29.10.2002 एवं टैरिफ 2006 तथा 2008 के कथनानुसार उच्च विभव (एच.टी.) एवं अति उच्च विभव (ई.एच.टी.) उपभाक्ताओं के ट्रान्सफॉर्मर की क्षमता उनके अनुबन्धित माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की कंडिका 6.24 के प्रावधान के अनुसार ट्रान्सफार्मर की पर्याप्तता के सम्बन्ध में प्रणाली से उच्च विभव उपभोक्ता के ट्रान्सफॉर्मर, स्वीचगियर या

11 बोर्ड द्वारा दावा प्रस्तुत करने में विलम्ब की अवधि (मई से नवम्बर 2009) एवं उसके बाद के विलम्ब की अवधि (अप्रैल से जून 2010)।

अन्य विद्युत उपकरणों को जोडे जाने के पूर्व, यह अनुज्ञप्तिधारी (जो कि बोर्ड है) के निरीक्षण एवं अनुमोदन के विषयाधीन है एवं अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन के बिना इसे जोडा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सभी उच्च विभव प्रतिष्ठानों विद्युत निरीक्षक से अनुमोदित होनी चाहिए। आपूर्ति विज्ञप्तिक (अक्टूबर 2002) की संशोधित नियम एवं शर्तो की कंडिका 8–अ एवं 8–ड यह भी प्रावधानित करती है कि यदि कोई उपभोक्ता अपने लिए अनुबन्धित माँग के अनुसार स्वीकार्य क्षमता से अधिक क्षमता का ट्रान्सफॉर्मर प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो निर्दिष्ट टैरिफ के अनुसार विद्यमान दरों की दुगुनी दर से ऐसी पूरी अवधि के लिए उपभोक्ता द्वारा स्थापित ट्रान्सफॉर्मर क्षमता की 2/3 क्षमता को अनुबंधित माँग मानते हुए भारित राशि से भुगतान घटाकर निर्धारित क्षतिपूर्ति उपभोक्ता द्वारा देय होगी। वैसी स्थिति में जहाँ कदाचार की अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, कदाचार का पता चलने से पूर्व का छः माह लिया जाएगा ।

हमने प्रेक्षित किया (अगस्त 2009 से जनवरी 2010) कि तीन अंचलों जो कि गया, आरा, एवं मोतीहारी थे, के तीन एच.टी. उपभोक्ता बोर्ड द्वारा स्वीकार्य क्षमता से अधिक क्षमता का ट्रान्सफॉर्मर प्रयोग करते पाये गये[12]। परन्तु बोर्ड द्वारा इन उपभोक्ताओं को निर्दिष्ट क्षमता के ट्रान्सफॉर्मर से ट्रान्सफॉर्मर प्रतिस्थापित करने या बढ़े हुए भार के लिए अनुबन्ध करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया। तथापि, ये उपभोक्ता प्रचलित टैरिफ[13] एवं बोर्ड के आदेश के अनुसार विपत्रीकृत नहीं किये गये। फलस्वरूप अक्टूबर 2004 से मई 2010 की अवधि में बोर्ड ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा ।

इस प्रकार, टैरिफ प्रावधानों का अनुपालन न करने, ट्रान्सफॉर्मर क्षमता के सम्बन्ध में नियंत्रण/प्रबोधन तंत्र का प्रेक्षण न करने एवं बोर्ड स्तर पर अनुपालन में विफलता से संस्थापन के समय इस प्रकार की अनियमितताओं का पता नहीं चला और बोर्ड को इसके फलस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

निकट भविष्य में ऐसी हानियों को टालने के लिए बोर्ड को अपना आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना चाहिए ।

मामला बोर्ड/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.9 *निष्फल व्यय*

ट्रक मॉन्टेड हाइड्रॉलिक क्रेन के क्रय में ₹ 2.90 करोड़ का निष्फल व्यय और ₹ 1.50 करोड़ का ब्याज दायित्व।

उपकरणों की खरीद के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन, उपयोग के अवसरों इत्यादि के साथ उचित नियोजन किया जाना आवश्यक होता है । बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर बिहार सरकार ने 11 अंचलों में 14 ट्रक आधारित (मॉनटेड) जलदाब चलित (हाइड्रॉलिक) क्रेन के क्रय हेतु ₹ 2.75 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (मार्च 2006 एवं जनवरी 2007) । क्रेन का उद्देश्य विद्युत आपूर्ति बाधित (ब्रेक डाउन) होना एवं फ्यूज की समस्या को अविलम्ब दूर करना था। ऋण संस्वीकृति पत्र के अनुसार, बोर्ड को ऋण, ऋण राशि की प्राप्ति के एक वर्ष बाद 10

12 बोर्ड द्वारा पाया गया (विद्युत आपूर्ति अंचल, गया अगस्त 2006, विद्युत आपूर्ति अंचल, आरा अक्टूबर 2004 एवं विद्युत आपूर्ति अंचल, मोतीहारी)– मार्च 2008।

13 बी एस ई बी. टैरिफ 1993 ,बी.ई.आर.सी. टैरिफ आदेश 2006–07, बी.ई.आर.सी. टैरिफ आदेश 2008–09।

समान किस्तों में मूलधन एवं ब्याज (13 प्रतिशत की दर से) चुकाना था। ऋण के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में 2.5 प्रतिशत की दर से दांडिक ब्याज भी देय था।

बोर्ड की निविदा (जून 2006) के आधार पर 14 आयशर 11.10 एच केबिन एवं चेसिस तथा ट्रक आधारित क्रेन की आपूर्ति हेतु क्रमशः मे0 आयशर मोटर्स, नई दिल्ली (आपूर्तिकर्ता–1) एवं मे0 लिफ्टमैक उद्योग प्रा0 लि0 (आपूर्तिकर्ता–2) को दो क्रय आदेश दिये गये। 14 ट्रक आधारित क्रेन की कुल लागत ₹ 3.76 करोड़ थी। 14 ट्रकों के क्रय आदेश के विरूद्ध, बोर्ड ने 9 अंचलो के लिए 11 ट्रक आधारित क्रेन अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 की अवधि में प्राप्त किये, जिसके लिए बोर्ड ने ₹ 2.90 करोड़ (आतंरिक स्त्रोतों से ₹ 15,71,990 सम्मिलित करने हुए) का भुगतान किया।

इन नौ अंचलों के दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि सभी ग्यारह ट्रक आधारित क्रेनें अव्यवहरित पड़े हुए थे। बोर्ड ने इनके प्रयोग हेतु कोई कदम नहीं उठाया था। लेखापरीक्षा के विश्लेषण में ट्रकों के अप्रयुक्त रहने के कारणों में ट्रकों के पंजीकरण में विलम्ब, क्रेन के परिचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, अपर्याप्त चौड़े एवं खराब सड़के पायी गयीं । यह भी पाया गया कि सरकार को योजना सौंपने एवं क्रेनों की क्रय के पूर्व उपभोक्ताओं के क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों में क्रेनों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया था।

इस प्रकार, क्रय में नियोजन की कमी एवं परियोजना में अदूरदर्शिता के कारण 11 ट्रक आधारित क्रेनों के क्रय में निवेशित ₹ 2.90 करोड़ निष्फल हो गये और बोर्ड द्वारा ₹ 1.50 करोड़ के परिहार्य ब्याज का दायित्व भी वहन करना पड़ा (अप्रैल 2010)। इसके अतिरिक्त, क्रेन के स्थापन तिथि से 18 माह की प्रत्याभूति अवधि भी समाप्त हो गयी ।

बोर्ड ने अपने जबाब में बताया (नवम्बर 2010) कि पंजीकरण में विलम्ब का कारण वाणिज्यिक कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलम्ब था, परन्तु, जवाब में उन उद्देश्यों हेतु जिनके लिए क्रेनों का क्रय किया गया था, के अनुपयोग का जिक्र नहीं था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

4.10 उद्देश्यों की पूर्ति न होना

जनदाहा शक्ति उपकेन्द्र के पुनरूद्धार पर ₹ 0.55 करोड़ व्यय के बाद भी उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, हाजीपुर के 33 के.भी. जनदाहा शक्ति उपकेन्द्र (जे.पी.एस.एस.) के पुनरूद्धार का कार्य मार्च 2006 में ₹ 0.37 करोड़ की लागत पर, बोर्ड द्वारा त्वरित शक्ति विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा आपूर्ति किये गये ट्रान्सफॉर्मर की लागत (₹ 0.18 करोड़) छोड़कर, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि पी.जी.सी.आई.एल. को वैशाली जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत दिये गये 33 के.भी. महनार–जनदाहा लाइन कार्य सितम्बर 2009 (15.09.09) तक पूर्ण होने में विलम्ब था जिसके कारण शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) ऊर्जान्वित नहीं हो पाया था । इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :–

- यद्यपि शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) पुनरूद्धार का कार्य पूर्ण हो गया था और मार्च 2006 में इसका परीक्षण कर लिया गया था, यह लगभग साढ़े तीन वर्षो तक विद्युत शक्ति संचरण के लिए आवश्यक 33 के.भी. कार्यकारी लाइन के अभाव में अकार्यान्वित पड़ा रहा।
- शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) जैसा कि 16 सितम्बर 2009 से 15 अक्टूबर 2009 के मध्य मात्र 21 दिनों (16 सितम्बर 2009 एवं 24 सितम्बर 2009 के मध्य 9 दिनों तथा 4 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के मध्य 12 दिनों) के लिए उर्जान्वित हुआ तथा तबसे पूर्णता के बाद 33 के.भी. लाईन के कंडक्टर की चोरी के कारण अब तक (अक्टूबर 2010) बंद पड़ा है ।
- शक्ति उपकेन्द्र 33 के.भी. लाइन में कण्डकटर की चोरी के कारण लम्बे समय से निष्क्रिय था। अतः लाइन निर्माण के समय चोरी की संभावनाओं को टालने /कम करने हेतु 33 के.भी. लाइन के सुरक्षित स्थान/सड़क किनारे पुनः परिपथीकरण पर विचार किया जाना चाहिए था जो कि बोर्ड द्वारा सिर्फ अगस्त 2009 में विचारित किया गया । यदि बोर्ड द्वारा कथित लाइन के निर्माण के समय 33 के.भी. लाइन के पुनः परिपथीकरण पर विचार होता तो चोरी को परिहार/न्यूनीकरण किया जा सकता था और शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) कार्यकारी होता ।

बोर्ड ने अपने जवाब (सितम्बर 2010) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि दो योजनाओं में कुछ तालमेल की कमी, जनदाहा पी.एस.एस. एवं 33 के.भी. महनार–जनदहा लाइन में अनेक चोरियों के कारण शक्ति उपकेन्द्र सेवा में नहीं रह सका।

इस प्रकार अनुचित नियोजन के कारण शक्ति उपकेन्द्र (पी.एस.एस.) पर खर्च हुए ₹ 0.55 करोड़ निष्फल रह गये और बोर्ड व्यय के उद्देश्यों को पाने में विफल रहा ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2010); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2010) था।

सामान्य

4.11 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखा परीक्षण के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से संवादित किया जाता हैं। सा.क्षे.उ. के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि.प्र. का उत्तर छः हफ्तों के अन्दर देना होता है। मार्च 2010 तक 19 सा.क्षे.उ. को निर्गत नि.प्र. से यह स्पष्ट होता है कि 510 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बद्ध 1291 कंडिकाएँ सितम्बर 2010 तक लम्बित थी। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से पाँच वर्षो तक अनुत्तरित थी। 30 सितम्बर 2010 तक लम्बित नि.प्र. एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार बँटवारा **परिशिष्ट–20** में दी गयी है।

उसी प्रकार सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए प्रधान सचिव/सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये जाते है । यद्यपि यह पाया गया कि अप्रैल से नवम्बर 2010 की अवधि में विभिन्न

विभागों को अग्रसारित दो समीक्षाओं एवं 11 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर **परिशिष्ट–21** के विवरणानुसार प्रतीक्षित थे।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कारवाई की प्रक्रिया विद्यमान हो (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई हो, और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

प्रेमन दिनाराज

पटना
दिनांक

(प्रेमन दिनाराज)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक